



## 112426 - क्या वह कुर्बानी करे या अपने ऊपर अनिवार्य कर्ज का भुगतान करे ?

### प्रश्न

क्या कर्जदार (ऋणी) को ईद में कुर्बानी करने की अनुमति है, या कि बेहतर यह है कि वह अपने कर्ज का भुगतान करे ?

### विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

कर्ज का भुगतान करना ईद के दिनों में कुर्बानी करने से बेहतर और अधिक ज़रूरी है, इसके कई कारण हैं :

1- कर्ज की अदायगी करना अनिवार्य है, और कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। अतः सुन्नत को वाजिब (अनिवार्य) पर प्राथमिकता नहीं दी जायेगी। यहाँ तक कि जिन विद्वानों का मत यह है कि कुर्बानी अनिवार्य है, उनके अनुसार भी ऐसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि कर्ज का भुगतान करना उस पर प्राथमिकता रखता है ; क्योंकि - कुर्बानी को वाजिब कहनेवालों के निकट - कुर्बानी केवल सक्षम आदमी पर अनिवार्य है, और कर्जदार आदमी सक्षम नहीं है।

2- कर्ज का भुगतान करने से आदमी की ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाती है, और कुर्बानी को निर्धारित करने में उस ज़िम्मेदारी को व्यस्त करना है। और इसमें कोई संदेह नहीं कि ज़िम्मेदारी का निर्वाहन करना उसे भरने, व्यस्त करने से बेहतर और अधिक ज़रूरी है।

3- कर्ज बन्दों का हक है, और कुर्बानी अल्लाह का एच्छक और विस्तार वाला हक है, तो ऐसी स्थिति में बन्दों के हक को प्राथमिकता दी जायेगी।

4- फिर यह बात भी है कि कर्ज के बाकी रहने में बड़ा जोखिम है। क्योंकि इस बात का डर है कि कर्जदार क्रियामत के दिन अपने कर्ज को अपनी नेकियों से भुगतान करेगा यदि अल्लाह ने उसकी तरफ से उसे नहीं चुकाया। इसके अंदर बहुत बड़ा खतरा है ; क्योंकि मुसलमान उस दिन एक-एक नेकी का सबसे अधिक ज़रूरतमंद और मुहताज होगा।

इससे स्पष्ट हो जाता है कि कर्ज को चुकाना कुर्बानी करने से अधिक ज़रूरी है। और इससे केवल वही कर्ज अलग है जो आस्थगित लंबे समय तक हो, इस तौर पर कि कर्जदार को गालिब गुमान हो कि वह अगर अभी कुर्बानी करता है तो समय पर कर्ज का भुगतान कर सकेगा। या उसने अपने कर्ज में किसी चीज़ को रहन (गिरवी) रखा हो जिससे वह यदि वह समय पर असमर्थ हो जाए तो भुगतान कर सकता हो। तो ऐसी स्थिति में अल्लाह ने उसे जो मयस्सर किया है उसकी कुर्बानी करने में



कोई हर्ज और आपत्ति की बात नहीं है, और उसे अल्लाह के पास अज़्र व सवाब प्राप्त होगा।

“मासिक बैठक” (संख्या/53, प्रश्न संख्या 24) में आया है :

“प्रश्न : उस कुर्बानी का क्या हुक्म है जब वह आस्थगित कर्ज के द्वारा हो ? क्या वह काफी होगा या कि कर्ज वाले से अनुमति लेना ज़रूरी है ?

उत्तर : मैं इन्सान के लिए उचित नहीं समझता हूँ कि वह कुर्बानी करे जबकि उसके ऊपर कर्ज हो, सिवाय इसके कि वह कर्ज आस्थगित समय के लिए हो, और उसे अपने बारे में पता हो कि कर्ज की अदायगी का समय होने पर वह उसे चुका सकता है, तो उसके लिए कुर्बानी करने में कोई हानि नहीं है। अन्यथा वह, अपने पास जो पैसे हैं उसे कर्ज के लिए जमा करके रखेगा। - भाईयो! - कर्ज बहुत महत्वपूर्ण है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब किसी आदमी को उस पर जनाज़ा की नमाज़ पढ़ने के लिए पेश किया जाता, तो आप उसपर नमाज़ नहीं पढ़ते थे। यहाँ तक कि एक दिन अन्सार के एक आदमी को आप के पास पेश किया गया तो आप कुछ कदम चले फिर फरमाया :

“क्या उसके ऊपर कोई कर्ज है ? लोगों ने कहा : हाँ। आप ने फरमाया : तुम अपने साथी पर नमाज़ पढ़ लो। आप ने खुद उसकी नमाज़ जनाज़ा नहीं पढ़ाई। यहाँ तक कि अबू क़तादा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और फरमाया : दोनों दीनार मेरे ज़िम्मे हैं। तो आप ने फरमाया : कर्जदाता का हक़ तुम्हारे ऊपर है और मृतक उससे दोषमुक्त हो गया। उन्होंने ने कहा : जी हाँ, ऐ अल्लाह के पैगंबर ! इसपर आप आगे बढ़े और जनाज़ा की नमाज़ पढ़ाई।”

तथा जब आप से अल्लाह के रास्ते में शहादत के बारे में प्रश्न किया गया और यह कि वह हर चीज़ को मिटा देती है, तो आप ने फरमाया :

“सिवाय कर्ज के” शहादत कर्ज के लिए कफ़ारा नहीं है। अतः कर्ज का मामला आसान नहीं है। - मेरे भाईयो! - अपने आप को बचाओ, मुस्तक़बिल (भविष्य) में देश आर्थिक संकट से पीड़ित न हो। क्योंकि ये लोग जो कर्ज लेते हैं और कर्ज को तुच्छ समझते हैं, बाद में ये लोग दीवालिया हो जाएंगे, फिर उनके पीछे वो लोग दीवालिया होंगे जिन्होंने इन्हें कर्ज दिया है। मामला बेहद खतरनाक और गंभीर है। जब अल्लाह सर्वशक्तिमान ने बंदों के लिए आर्थिक इबादतों को आसान कर दिया है कि इन्सान उसे न करे सिवाय इसके कि वह उसकी क्षमता रखता हो। तो इसपर उसे अल्लाह की प्रशंसा करनी चाहिए और उसका आभारी होना चाहिए।” समाप्त हुआ।

तथा वह “अशशर्हुल मुम्ते” (8/455) में फरमाते हैं :

“यदि उसके ऊपर कर्ज अनिवार्य है तो उसे चसहिए कि वह कुर्बानी से पहले कर्ज से शुरूआत करे।” समाप्त हुआ।



तथा प्रश्न संख्या : (41696) का उत्तर देखें।